



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 240]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 9, 2019/श्रावण 18, 1941

No. 240]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 9, 2019/SHRAVANA 18, 1941

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अगस्त, 2019

मामला सं. एसएसआर 05/2019

**विषय – सिंगापुर के मूल के अथवा वहां से निर्यातित फ्लेक्सीबल स्लैबस्टॉक पॉलीओल के आयातों के संबंध में निर्णायक समीक्षा जांच की शुरूआत ।**

- फा.सं. 7/12/2019-डीजीटीआर.—** 1. वर्ष 1995 में यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसके बाद अधिनियम भी कहा गया है) और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण एवं क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिन्हें इसके बाद ए.डी. नियमावली कहा गया है) के संबंध में, दिनांक 11.01.2015 के जांच परिणामों के आधार पर, प्राधिकारी ने पाटनरोधी शुल्कों को लागू करने की सिफारिश की जिन्हें वित्त मंत्रालय (एम ओ एफ) द्वारा सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 9/2015-सीमा शुल्क (ए डी डी) दिनांक 7.4.2015 के अनुसार लागू किया गया था । लगाया गया शुल्क दिनांक 06.04.2020 को समाप्त हो जाएगा ।
2. जबकि सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधित) अधिनियम, 1995 के खंड 9क(5) की शर्तों में, लागू किया गया पाटनरोधी शुल्क जब तक कि पहले रद्द न किया गया हो, इस प्रकार लागू किए जाने की तारीख से पांच वर्षों की समाप्ति पर अप्रभावी हो जाएगा, और प्राधिकारी द्वारा यह समीक्षा किया जाना अपेक्षित है कि क्या शुल्क को समाप्त किए जाने से पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति की संभावना है, उपर्युक्त के अनुसरण में, प्राधिकारी द्वारा

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अथवा उसकी ओर से भलीभांति विधिपूर्वक किए गए अनुरोध के आधार पर यह समीक्षा किया जाना अपेक्षित है कि क्या शुल्क के समाप्त किए जाने से पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

3. मै. मनाली पैट्रोकेमिकल्स लिमि. ने आस्ट्रेलिया, ई यू और सिंगापुर (जिन्हें यहां इसके बाद संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित फ्लेक्सिबल स्लैबस्टॉक पॉलीओल (जिन्हें यहां संबद्ध वस्तुएं भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत के लिए समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे यहां अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण एवं क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिन्हें यहां ए.डी. नियमावली कहा गया है) के अनुसरण में निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे यहां प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है।

#### क. विचाराधीन उत्पाद

4. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद फ्लैक्सिबल स्लैबस्टॉक पॉलीओल है। संबद्ध उत्पाद 3000-4000 आणविक भारांश का एक स्पष्ट चिपचिपा द्रव पॉलीमर है, जो त्रिकोणीय चैन स्टार्टर के साथ प्रोपेलीन ऑक्साइड और इथेलिन ऑक्साइड के पॉलीमराइजेशन द्वारा विनिर्मित किया जाता है। यह एक पॉलीथर है और उत्प्रेरक और योजक के साथ प्रतिक्रिया पर अपहोलीस्टरी, मैट्रेस, पिलोज, बोलस्टर्स, ट्रांसपोर्ट सीटिंग और पैकेजिंग में प्रयुक्त होने वाला पोलियुरेथिन फोम उत्पन्न करता है। फ्लैक्सिबल स्लैबस्टॉक पॉलीओल (जिसे यहां "संबद्ध वस्तु" कहा गया है) की दुलाई टैंकर्स में की जाती है अथवा स्टील के ड्रमों में संग्रहित किया जाता है।
5. वर्तमान याचिका, निर्णायक समीक्षा जांच होने के कारण, निर्धारित विधिशास्त्र और प्राधिकारी की विगत पद्धतियों के अनुसार विचाराधीन उत्पाद वही है जैसाकि मूल अधिसूचना में परिभाषित किया गया है।
6. संबद्ध वस्तुओं को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय-39 और इसके अतिरिक्त, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वर्गीकरण के अनुसार 390720 के तहत श्रेणी "प्लास्टिक और उससे बनी वस्तुएं" के तहत वर्गीकृत किया गया है। तथापि, वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और किसी भी प्रकार वर्तमान जांच के कार्यक्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

#### ख. समान वस्तु

7. आवेदक ने दावा किया है कि संबद्ध वस्तुएं, जो भारत में पाटित की जा रही हैं, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं के सदृश हैं। घरेलू रूप से उत्पादित संबद्ध वस्तुओं तथा आवेदक द्वारा विनिर्मित विचाराधीन उत्पाद में न तो तकनीकी विशिष्टताओं, गुणवत्ता, कार्यों और न ही पाटित आयातों और अंतिम प्रयोग में कोई अंतर है। दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इसलिए ए डी नियमावली के अंतर्गत इन्हें "संबद्ध वस्तुएं" माना जाना चाहिए। इसलिए, वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ, भारत में आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं को संबद्ध देशों से आयात की जा रही संबद्ध वस्तुओं के "समान वस्तु" माना जा रहा है।

#### ग. घरेलू उद्योग और स्थिति

8. आवेदन घरेलू उद्योग की ओर से मैसर्स मनाली पैट्रोकेमिकल्स लि. द्वारा दायर किया गया है। जैसाकि मैसर्स मनाली पैट्रोकेमिकल्स लिमिटेड द्वारा दावा किया गया है, वे भारत में संबद्ध वस्तुओं के प्रमुख उत्पादक हैं और इसलिए, नियम 2(ख) के अर्थों के भीतर घरेलू उद्योग संस्थापित हैं आवेदन ऊपर वर्णित नियमावली के नियम 5 (3) की शर्तों में खरा उतरने के मापदंड को भी पूरा करते हैं।

#### घ. शामिल देश

9. मूल जांच में शामिल देश आस्ट्रेलिया, ई यू और सिंगापुर थे। हालांकि इस वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच के प्रयोजनार्थ, प्राधिकारी केवल सिंगापुर के विरुद्ध जांच की शुरुआत करते हैं, इसलिए अब इस निर्णायक समीक्षा के लिए संबद्ध देश सिंगापुर है।

**ड. प्रक्रिया**

10. इस समीक्षा में संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश करने वाली दिनांक 11.1.2015 की अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना 14/1/2013-डी जी ए डी के सभी पहलुओं पर विचार किया जाएगा।
11. ऊपर बताई गई नियमावली के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के उपबंध आवश्यक संशोधनों के साथ इस समीक्षा पर लागू होंगे।

**च. जांच की अवधि**

12. वर्तमान जांच के लिए जांच की अवधि (पी ओ आई) 1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 (12 महीने है) हालांकि, क्षति का विश्लेषण करने के प्रयोजनार्थ, पिछले तीन वर्षों के आंकड़ों अर्थात् अप्रैल, 2015 से मार्च, 2016, अप्रैल, 2016 से मार्च 2017 और अप्रैल, 2017 से मार्च, 2018 और पी ओ आई पर विचार किया गया है।

**छ. सूचना प्रस्तुत करना**

13. संबद्ध देशों में ज्ञात निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावास के जरिए संबद्ध देशों की सरकारों, भारत में संबद्ध वस्तु के आयातकों व प्रयोक्ताओं को विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना निम्नलिखित पते पर प्रस्तुत करने और प्राधिकारी को अपने विचारों से अवगत कराने का अलग-अलग अनुरोध किया गया है:

**निर्दिष्ट प्राधिकारी****व्यापार उपचार महानिदेशालय****वाणिज्य विभाग****वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय****चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,****5, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001**

14. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जांच से संगत कोई अनुरोध नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित ढंग और पद्धति से प्रस्तुत कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य पक्षों को उसे उपलब्ध कराने के लिए उसका अगोपनीय अंश भी प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

**ज. हितबद्ध पक्षकारों के पंजीकरण और उत्तर दायर करने की समय-सीमा**

15. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस जांच की शुरुआत की तारीख से 40 दिनों के भीतर वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और प्रश्नावली के अपने उत्तर दायर करें तथा पाटनरोधी उपायों को जारी रखने की जरूरत या अन्यथा के संबंध में घरेलू उद्योग के आवेदन पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें।
16. वर्तमान समीक्षा से संबंधित कोई सूचना और सुनवाई के लिए कोई अनुरोध इस पत्र के प्रकाशन की तारीख से अधिकतर चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास लिखित में भेजी जानी चाहिए। यदि कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार, जिनका पता उपलब्ध नहीं है, वे भी इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 40 दिनों के भीतर टिप्पणियां/सूचना दर्ज करा सकते हैं।

**झ. अगोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना**

17. यदि प्रश्नावली के उत्तर/अनुरोधों के किसी भाग के संबंध में गोपनीयता का दावा किया जाता है तो ऐसे मामले में निम्नानुसार दो अलग-अलग सैट (क) गोपनीय रूप से अंकित एक सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि); और (ख). अगोपनीय रूप में अंतिम दूसरा सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि) प्रस्तुत करना होगा। दी गई समस्त सूचना पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए।

18. किसी गोपनीय अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। सभी हितबद्ध पक्षों द्वारा गोपनीय पाठ की दो (2) प्रतियां और अगोपनीय पाठ की चार (04) प्रतियां प्रस्तुत करना जरूरी होगा।
19. गोपनीय होने का दावा की गई सूचना के लिए, सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है और/या ऐसी सूचना का सारांशकरण क्यों संभव नहीं है।
20. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध/रिक्त छोड़ी गई और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।
21. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।
22. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा। प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

**ट. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण**

23. नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।
24. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

सुनील कुमार, अपर सचिव एवं महानिदेशक

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

**INITIATION NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th August, 2019

**Case No. SSR 05/2019**

**Sub: - Initiation of Sunset review investigation concerning imports of Flexible Slabstock Polyol originating in or exported from Singapore.**

**F. No. 7/12/2019-DGTR.**—1. Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 (hereinafter referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Duty or Additional Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as AD Rules). On the basis of Findings dated 11.1.2015, the authority recommended imposition of anti-dumping duties which was imposed vide Custom notification No. 9/2015-Customs (ADD) dated 7.4.2015 by Ministry of Finance (MoF). The duty imposed would expire on 6.4.2020.

2. Whereas in terms of Section 9A(5) the Customs Tariff(Amendment) Act 1995 the antidumping duty imposed shall unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition and the Authority is required to review, whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. In accordance with the above, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry, as to whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.
  3. M/s Manali Petrochemicals Ltd., has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the Act) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped articles and for Determination of injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter referred to as the AD Rules) for initiation of Sunset Review investigation concerning imports of Flexible Slabstock Polyol (hereinafter also referred to as the subject goods) originating in or exported from Australia, EU and Singapore (hereinafter referred to as the subject countries).
- A. Product under consideration**
4. The product under consideration in the present investigation is Flexible slabstock polyol. The subject product is a clear viscous liquid polymer of molecular weight 3000-4000, manufactured by polymerization of propylene oxide and ethylene oxide with a triol chain starter. It is a polyether and on reaction with catalysts and additives yields polyurethane foams used in upholstery, mattresses, pillows, bolsters, transport seating and packaging. Flexible slabstock polyol is transported in tankers or stored in steel drums (hereinafter referred to as the “subject goods”).
  5. The present petition being for sunset review investigation, as per the settled jurisprudence and the past practices of the Authority, the Product under Consideration remains the same as defined in the original notification
  6. The subject goods are classified under the category “Plastics and articles thereof” in Chapter 39 of the Customs Tariff Act, 1975 and further under 3907 20 as per International Trade Classification. The classification, however, is only indicative and in no way binding on the scope of the present investigation.
- B. Like Article**
7. The applicant has claimed that the subject goods, which are being dumped into India, are identical to the goods produced by the domestic industry. There are no differences either in the technical specifications, quality, functions or end-uses of the dumped imports and the domestically produced subject goods and the product under consideration manufactured by the applicant. The two are technically and commercially substitutable and hence should be treated as ‘like article’ under the AD Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the applicant in India are being treated as ‘Like Article’ to the subject goods being imported from the subject countries.
- C. Domestic Industry and ‘Standing’**
8. The Application has been filed by M/s. Manali Petrochemicals Ltd on behalf of the domestic industry. As claimed by M/s. Manali Petrochemicals Ltd, they are the major producer of the subject goods in India and therefore constitute the domestic industry within the meaning of the Rules 2 (b) and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 (3) of the Rules supra.
- D. Countries involved**
9. The countries involved in the original investigation were Australia, EU and Singapore. However, for the purpose of this current sunset review investigation, the Authority is initiating the investigation against Singapore only. Therefore, now Singapore is the subject country for this sunset review.
- E. Procedure**
10. The review will cover all aspects of Final Finding Notification No.14/1/2013-DGAD dated 11.1.2015 recommending imposition of anti-dumping duty on import of subject goods originating in or exported from subject country.
  11. The provisions of Rules 6,7,8,9,10,11,16,17,18,19 and 20 of the Rule shall be mutatis mutandis applicable in this review.
- F. Period of Investigation**
12. The period of investigation (POI) for the purpose of present investigation is 1<sup>st</sup> April 2018 to 31<sup>st</sup> March 2019 (12 months). However, for the purpose of analyzing injury, the data of previous three years, i.e. April 2015 to

March 2016, April 2016 to March 2017, April 2017 to March-2018 and the period of investigation (POI) has been considered.

**G. Submission of information**

13. The known exporters in the subject countries, the Government of the subject countries through their embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the product are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

**The Designated Authority,  
Directorate General of Trade Remedies,  
Ministry of Commerce & Industry,  
Department of Commerce  
4th Floor, Jeevan Tara Building,  
5, Parliament Street, New Delhi -110001.**

14. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below. Any party making any confidential submission before the Authority is required to submit a non-confidential version of the same to be made available to the other parties.

**H. Time Limit for Registration of Interested Parties and Filing of Response**

15. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application regarding the need to continue or otherwise the Anti-dumping measures within 40 days from the date of initiation of this investigation.
16. Any information relating to the present review and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of issuance of such letter. Any other interested party, whose address is not available, may also submit comments/information within 40 days from date of publication of this notification.

**I. Submission of Information on Non-Confidential basis**

17. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire's response/ submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non-Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page.
18. Information supplied without any confidential marking shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Four (4) copies of the confidential version and two (04) copies of the non-confidential version must be submitted by all the interested parties.
19. For information claimed as confidential; the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.
20. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out /summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, parties submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summarization; a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.
21. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

22. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information. Inspection of Public File
23. In terms of rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties. Non-cooperation
24. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

SUNIL KUMAR, Addl. Secy. & Director General